

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(भूमिधारी), रायपुर

बनाम

अप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र आसुराम, जाति रेगर,
निवासी बाबरा, तहसील रायपुर, जिला पाली

किस्म मुकदमा :: रेफरेन्स प्रकरण संख्या 184/2018

(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2018/00225)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.04.2018	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। संबन्धित कार्यालय से आवंटन संबंधी रेकर्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.05.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति.जिला कलेक्टर पाली</p> <p style="color: blue;">29/5/18 तहसील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय किया है। केसी प्रस्तुत होकर पत्रावली दिनांक 7/6/2018 को केस हो।</p>	
07.06.2018	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस पर आसामी फौत होने बाबत रिपोर्ट आई है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रायपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे मृतक के का0मु0 को पक्षकार संयोजित करते हुए समस्त दस्तावेजात् की पूर्ति कर नये सिरे से 15 दिवस के भीतर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायपुर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली</p>	